

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ 1(101) परि/स्था./2013

जयपुर, दिनांक:

आदेश

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्य संपादन हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार की नियुक्ति किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः राज्य सरकार श्री मुकुल राज, अपर परिवहन आयुक्त (नियम) को एतद् द्वारा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है।



(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव (परिवहन)

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

क्रमांक: एफ 1(101) परि/स्था./2013 / 17825-31

जयपुर, दिनांक: 08-9-2015

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
6. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव (परिवहन)